

फॉर्म - रा.सु.पु., कारखाना / निर्माण स्थल / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन
FORM- NSA: Factories / Construction sites / Installations under Atomic Energy Regulatory Board
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख / Last date for receipt of application: 15.10.2014
भारत सरकार / श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA / MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार - निष्पादन वर्ष 2013 के लिए आवेदन पत्र
APPLICATION FOR NATIONAL SAFETY AWARDS (NSA)
Performance Year – 2013

सभी अपेक्षित विवरणों सहित यह आवेदन पत्र (दो प्रतियां) सचिव, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार समिति को देय 200/-रु के रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट सहित, सचिव, "राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति" डी.जी.फा.स.ली., क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर - 47, फरीदाबाद, हरियाणा - 121010. को अन्तिम तारीख 15.10.2014 तक पहुंच जाना चाहिए।

This form (in duplicate) giving the particulars specified below along with the **Crossed Demand Draft for a sum of Rs.200/- for each Scheme drawn in favour of 'Secretary, National Safety Awards Committee'** is to reach The Secretary, National Safety Awards Committee, Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes, Regional Labour Institute, Secor-47, Faridabad, Haryana-121010., not later than the closing date given above.

टिप्पणी: / NOTE:

फार्म भरने से पहले कृपया निम्नलिखित निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

Before filling up the application form, please read the following instructions carefully :

- I. केवल कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखाने तथा भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन ही राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

Factories registered under Factories Act, 1948 and Establishments registered under the Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 & Installations under Atomic Energy Regulatory Board (AERB) are only eligible to compete for National Safety Awards.

- II. पंजीकृत कारखाने की ओर से प्रस्तुत केवल एक ही आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा।
Only one application in respect of a registered factory will be considered.

- III. हरेक मद / कॉलम के सामने सूचना दें। जो लागू न हो, उसे काट दें।

Type the information against all the items / columns. Strike out whichever is not applicable.

- IV. यदि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी गलत और असत्य पाई जाती है तो इन योजनाओं में भाग लेने के लिए ऐसी कंपनी को पांच वर्षों के लिए प्रतिषेध कर दिया जाएगा।
If the information furnished in the application form, if found incorrect, false or misleading at any point of time. Such companies shall be debarred from participation in these schemes for five years.
- V. अधूरे भरे या अपूर्ण सूचना वाले आवेदनपत्र रद्द कर दिए जाएंगे।
Applications which are incomplete or do not furnish the full information are liable to be rejected.
- VI. आवेदनपत्र भेजने से पहले मद संख्या 4.5.6 और 7 में दिए गए तथ्यों और आंकड़ों की प्रामाणिकता के लिए, कारखाने के कारखाना निरीक्षक / भवन एवं निर्माण स्थल निरीक्षक / निरीक्षक, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन से आवेदनपत्र की पृष्ठ संख्या 4 पर मद संख्या 8 दिए गए प्रमाणपत्र में उन्हें सत्यापित एवं प्रमाणित करवाएं।
For authenticity, the facts and figures furnished in respect of Items No. 4, 5, 6 & 7 should be verified and certified from the Inspector of Factories / Inspector of Building & Construction Site / Inspector for Installations under Atomic Energy Regulatory Board (AERB) in the certificate at Item No. 8, page No.4 of application form before submission.
- VII. अपने उद्योग के वर्गीकरण के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण की नवीनतम प्रति का उपयोग करें।
As regards classification of your industry, latest copy of National Industrial Classification (NIC) should be used.
- VIII. निष्पादन वर्ष 2013 सहित, पिछले तीन वर्षों के किसी भी वर्ष में पचास हजार से कम श्रम घंटे काम करने वाले कारखानों तथा निर्माण स्थलों के आवेदनपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
The application from Factories / Construction sites / AERB Installations, who have worked below fifty thousand man hours in any of the last three years including the Performance year 2013, shall not be considered.
- IX. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं नाम कंपनी की मोहर के बिना, आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।
Applications without signature & name of authorized signatory and company's seal are liable to be rejected.
- X. इस आवेदनपत्र के साथ संलग्न निर्देश पत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
Read the instruction sheet enclosed with this form carefully.

क. संगठन के बारे में जानकारी

A. INFORMATION ABOUT THE ORGANIZATION

1.

<p>फोन नं. (एसटीडी कोड के साथ), फैक्स नं. तथा ई-मेल आई डी के साथ संगठन का नाम और पता</p> <p>Name and address of the organization with telephone No. (With STD), Fax No. & E-mail ID</p>	<p>यदि फरीदाबाद का पता हो तो फोन नं., फैक्स नं. तथा ई-मेल आई डी,</p> <p>Faridabad address, if any with telephone No., Fax No. & E-mail ID</p>
<p>मोबाइल नं. /फोन नं. एसटीडी कोड के साथ संपर्क व्यक्ति का विवरण</p> <p>Details of the contact person with Mobile phone /phone with STD Code.</p>	<p>फैक्स नं. / FAX No.</p> <p>फरीदाबाद में संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नं./फोन नं.</p> <p>Details of contact person in Faridabad with Mobile No. / Phone No.</p>

2.

<p>कारखाना अधिनियम, 1948 तथा भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोज़गार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक Registration No. under Factories Act, 1948 / The Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 / Installations under Atomic Energy Regulatory Board (AERB)</p>	<p>(अ) कंपनी / निर्माण स्थल / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन का आकार</p> <p>(a) Size of the company / Construction Site / Installations under AERB</p>	<p>(ब) निष्पादन वर्ष 2013 के दौरान कुल बिक्री (रु.करोड़ में)</p> <p>(b) Turnover during the performance year 2013(Rs. in crore)</p>
<p>पंजीकृत सं. Reg. No: #</p>	<p>लघु/मध्यम/बड़ा</p> <p>Small/Medium/Large</p>	
<p>लाइसेंस सं. Licence No: #</p>		

संगठन की पंजीकरण तथा लाइसेंस सं की एक प्रति संलग्न करें।

Enclose copy of Registration No. and Licence No. of the organization.\

3.

<p>*उद्योग का वर्गीकरण: (संलग्न अनुसूची के अनुसार)</p> <p>* Classification of Industry : (As per Schedule attached)</p>	<p>* कारखाने / निर्माण स्थल / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन के मुख्य विनिर्माण कार्यों का उल्लेख करें</p> <p>*Major manufacturing activities of the factory / construction site / Installation under AERB</p>	<p>इन वर्षों में कामगारों की औसत संख्या: Average number of workers during the years</p>						
		<table border="1"> <tr> <td>2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> </tr> </table>	2011		2012		2013	
2011								
2012								
2013								

*जानकारी न देने पर, आवेदन रद्द हो सकता है।

* Failure to provide information may lead to rejection of application.

ख. योजना I/ III/ V/ VII/ IX (निम्नतम औसत आवृत्ति दर पर आधारित)**B. SCHEME I/ III /V /VII / IX (LOWEST AVERAGE FREQUENCY RATE)**

(जिस योजना के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पुरस्कार योजना की संख्या पर चिह्न लगाएं)

(Please tick mark the number of the Awards Scheme for which the application is submitted)

4.इन वर्षों के दौरान कुल श्रम घंटे / Total man-hours worked during the years.

(यह वास्तविक श्रमघंटे होने चाहिए और इनमें कारखाना अधिनियम 1948 की परिभाषा के अनुसार कारखाने के भीतर किया गया समयोपरि कार्य शामिल होना चाहिए। इसमें ठेके का काम भी शामिल हो) (This should be the actual number of man-hours including overtime worked inside the factory / construction site / installations under AERB as defined in the Factories Act, 1948. This also includes Contract Labour).	2011	
	2012	
	2013	

5.

कारखाना अधिनियम, 1948 तथा भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोज़गार का विनियमन और सेवा शर्तें)अधिनियम 1996 और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन के अंतर्गत इन वर्षों में 48 घंटे अथवा उससे अधिक समय-हानि वाली सूचित करने योग्य दुर्घटनाओं की संख्या Number of accidents reportable under Factories Act, 1948/The Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 / Installations under Atomic Energy Regulatory Board (AERB) causing loss of time for 48 hours or more during the years.	वर्ष Year	सूचित करने योग्य दुर्घटनाओं की संख्या Number of reportable accidents		
		क) घातक a) Fatal	ख)पूर्ण स्थाई विकलांगता b) Permanent total disability	ग) अघातक c) Non-fatal
	2011			
	2012			
2013				

पूर्ण स्थाई विकलांगता का अर्थ ऐसी दुर्घटनाओं से है, जिससे कामगार की कमाने की क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए ।

Permanent total disability means such accident cases, which lead to total loss of earning capacity of the worker.

6.

वर्ष Year	घातक दुर्घटनाओं के लिए मूल्यांकित आवृत्ति दर Weighted frequency rate of fatal accidents**	पूर्ण स्थायी विकलांगता दुर्घटनाओं के लिए मूल्यांकित आवृत्ति Weighted Frequency rate of permanent total disability**	अघातक दुर्घटनाओं के लिए मूल्यांकित आवृत्ति दर Weighted Frequency Rate for non-fatal accidents**	कुल दुर्घटनाओं की मूल्यांकित आवृत्ति दर (नं. 2,3 व 4 का योग) Weighted Frequency rate of all accidents (sum of Col.2,3 & 4)	तीन वर्षों की औसत आवृत्ति दर Average Frequency Rate over a period of 3 years
1	2	3	4	5	6
2011					
2012					
2013					

**आकलित आवृत्ति दर प्राप्त करने के लिए संलग्न पत्र में सूत्र दिया गया है।

**The formula for calculating the Weighted Frequency Rate is given in enclosed instruction sheet.

ग. योजना II / IV / VI / VIII / X (दुर्घटना मुक्त वर्ष)

C. SCHEME II / IV / VI / VIII / X (Accident Free Year)

(जिसके लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पुरस्कार योजना की संख्या पर चिह्न लगाएं)

Please tick mark the number of Awards Scheme for which the application is submitted)

7.

1) दुर्घटना मुक्त वर्ष-2013 (जनवरी 2013- दिसंबर 2013) के लिए श्रम घंटे
Man-hours for Accident Free Year 2013 (Jan. 2013- Dec. 2013) _____.

1) वर्ष 2013 में घातक / अघातक दुर्घटनाओं एवं पीटीडी मामले की संख्या, यदि हो तो
No. of Fatal / Non-fatal accidents & cases of PTD in the year 2013, if any _____.

टिप्पणी: कंपनी चाहे केवल योजना II / IV / VI / VIII / X (दुर्घटना मुक्त वर्ष) के अंतर्गत आवेदन कर रही हो, तो भी पृष्ठ संख्या 3 पर कॉलम नं. 4 में आंकड़े देना जरूरी है।

Note: Figures at column No. 4, page No. 3 are mandatory, eventhough the company applies only under Scheme II /IV /VI /VIII /X (Accident Free Year).

8. कारखाने / निर्माण स्थल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मुख्य निरीक्षक /कारखाना निरीक्षक तथा मुख्य निरीक्षक / भवन एवं निर्माण स्थल निरीक्षक / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थान के निरीक्षक द्वारा सत्यापन ।

VERIFICATION BY CHIEF INSPECTOR / INSPECTOR OF FACTORIES / BUILDING AND CONSTRUCTION HAVING JURISDICTION OVER THE FACTORY / CONSTRUCTION SITE / INSPECTOR OF A.E.R.B. HAVING JURISDICTION OVER THE INSTALLATIONS

मद संख्या 4,5,6 और 7 में दी गई सूचना और आंकड़ों का सत्यापन किया गया है और वे सही पाए गए। इसके अलावा वर्ष 2013. के दौरान कारखाना / निर्माण स्थल / संस्थापनों ने कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत तथा निर्माण स्थल ने भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन के अंतर्गत उपबंध का कोई उल्लंघन नहीं किया है। ईएसआईसी के साथ आंकड़ों की परस्पर जांच कर ली गई है।

The information and data given under item 4, 5, 6 & 7 are certified by me and found to be correct. Further, the factory / construction site / installations has not been convicted for any breach of provision under the Factories Act, 1948 / The Building & other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 / AERB Act, during the year 2013. The figures have also been cross checked with ESIC.

तारीख/ Date:

स्थान/ Place:

निरीक्षक का नाम और हस्ताक्षर
Name & Signature of the Inspector

कार्यालय की मोहर
Office Seal

टिप्पणी: निरीक्षक की सील / मोहर के बिना आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

Note : Without Inspector seal / stamp the application shall be rejected.

9. संलग्न डिमांड ड्राफ्ट का ब्यौरा

PARTICULARS OF THE DEMAND DRAFT ENCLOSED

योजना सं./ SCHEME NO.	डीडी सं. D.D. Number	दिनांक Date	राशि Amount	बैंक Bank
(1) योजना I / III / V / VII / IX SCHEME I / III / V / VII / IX				
(2) योजना II / IV / VI / VIII / X SCHEME II / IV / VI / VIII / X				

(डिमांड ड्राफ्ट का ब्यौरा उस योजना के अंतर्गत भरें, जिसके लिए आवेदनपत्र भेजा गया है। योजना की संख्या पर भी चिह्न लगाएं।

(Fill up the details of the demand draft against that Scheme under which the application is submitted.
Also tick mark (✓) the scheme number)

प्रमाणपत्र / CERTIFICATE

10. मैं प्रमाणित करता हूँ कि/

I certify that :-

- मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपर्युक्त सूचनाएं सही हैं।
The information furnished above is correct to the best of my knowledge and belief.
- उद्योग / प्रतिष्ठान राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत है।
The industry/establishment is classified as per the National Industrial Classification (NIC).
- दिया हुआ सुझाव एक समिति द्वारा मूल्यांकित और अनुमोदित किया गया है। यह समिति इसी कार्य के लिए प्रबंधन द्वारा गठित की गई है और इसमें कामगारों का प्रतिनिधि भी शामिल है।
The details furnished have been scrutinized and approved by a Committee assigned for the purpose by the management, which has a worker representative.

घोषणा / DECLARATION

हम यह घोषणा करते हैं कि यदि कंपनी विजेता घोषित की जाती है, तो वह पुरस्कार समारोह' के दौरान पुरस्कार ग्रहण करेगी।

We hereby declare that in case the company is adjudged as a winner / runner up, the award will be received by the company during the Award Function.

तारीख/ Date

स्थान/ Place:

प्राधिकृत प्रबंधक का नाम और हस्ताक्षर
Name & signature of Authorised Manager

कंपनी की मोहर / COMPANY'S SEAL

टिप्पणी: कंपनी की सील / मोहर के बिना आवेदन रद्द कर दिया जाएगा ।

Note : Without company's seal / stamp the application shall be rejected.